

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग/जोन—कोटा/एमएसीपी/26767/2026/35

दिनांक:—10/03/2026

—:आदेश:—

राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017/पी.टी. दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कर्मियों जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:—

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	देय पे बैंड/वर्तमान में प्राप्त वेतन श्रृंखला	देय पे ग्रेड/देय पे वेतन श्रृंखला
1.	रीता रानी कुमावत, म0स्वा0का0	झालावाड	31.10.1998	31.10.2025 27 वर्ष	एल-11	एल-12

- नोट:— 01. कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।  
02. उक्त कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है, तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:—10/03/2026

क्रमांक:—नर्सिंग/जोन—कोटा/एमएसीपी/26767/2026/35

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन कोटा।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :09-03-2026 05:22:45

RajKaj Ref No.:  
20761842

eSign DSC